

Page

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-1/आर-123/2023/125

दिनांक:- 3/3/2023

अधीक्षक,  
जे0के0लोन मातृ एवं शिशु  
चिकित्सालय कोटा।

विषय:- श्री राम रतन मीणा, नर्सिंग अधीक्षक, सेवानिवृत्त के प्रोविजनल पेंशन स्वीकृत करने हेतु प्रपत्र 33 पर प्रतिहस्ताक्षर के संबंध में।  
संदर्भ:-आपका पत्रांक 2840दिनांक12.10.2022 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संन्दर्भित पत्र के द्वारा श्री राम रतन मीणा, नर्सिंग अधीक्षक, सेवानिवृत्त के प्रोविजनल पेंशन स्वीकृत करने हेतु प्रपत्र 33 पर प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्ताव भिजवाये गये हैं, के साथ वर्णात्मक नामावली मय ऋण से संबंधित अदेय प्रमाण पत्र सलग्न नहीं किया गया है, जिसके अभाव में प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

अतःउपरोक्त आक्षेपो की पूर्ति कर प्रकरण अविलम्ब निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करें, जिससे प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सके।

सल्लग्न मूल प्रपत्र

(सुरेश नवल)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर  
दिनांक:- 3/3/2023

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-1/आर-123/2023/125

प्रतिलिपी:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान कोटा।
2. संबंधित कार्मिका को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए संबंधित को मेल पर भिजवाना सुनिश्चित करें।
4. रक्षित/गार्ड पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर